2009:CGHC:9972-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 802/2007

रंजीत निषाद

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(और अन्य संबंधित दाण्डिक अपील क्रमांक 822/2007; 823/2007;

824/2007; 825/2007; 826/2007; 827/2007 एवं 828/2007)

निर्णय

विचारण हेतु

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांकः 10/08/2009 को सूचीबद्ध करें।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 802/2007

अपीलार्थी :रंजीत निषाद, पिता कीर्तन राम निषाद, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम- पटौद, पुलिस थाना-कांकेर, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-कांकेर, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक 822/2007

अपीलार्थी :जागेश्वर उर्फ जगे, पिता सूरजलाल, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम-पतौड़, पुलिस थाना कांकेर, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी :छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना कांकेर, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)।

दाण्डिक अपील क्रमांक 823/2007

अपीलार्थी :देव प्रसाद, पिता कृष्ण निषाद, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम-पटौद, पुलिस थाना कांकेर, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना कांकेर, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)।

दाण्डिक अपील क्रमांक 824/2007

अपीलार्थी :शंकर निषाद, पिता देवलाल निषाद, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम- पटौद, पुलिस थाना-कांकेर, जिला- कांकेर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-कांकेर, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक 825/2007

अपीलार्थी : बृजवती निषाद, पति कीर्तन राम निषाद, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम- पटौद, पुलिस थाना-कांकेर, जिला- कांकेर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-कांकेर, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)। के माध्यम से

दाण्डिक अपील क्रमांक 826/2007

अपीलार्थी : देवचंद निषाद, पिता स्वर्गीय कृष्ण राम, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम- पटौद, पुलिस थाना-कांकेर, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-कांकेर, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)।

दाण्डिक अपील क्रमांक 827/2007

अपीलार्थी : देवलाल, पिता कृष्ण, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी ग्राम- पटौद, पुलिस थाना-कांकेर, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी :छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-कांकेर, जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)।

एवं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक 828/2007

अपीलार्थी : 1. बृजलाल, पिता कृष्णा, आयु लगभग 48 वर्ष

2. मनोज कुमार, पिता बृजलाल, आयु लगभग 22 वर्ष

3. सूरजलाल, पिता स्वर्गीय कृष्णा, आयु लगभग 56 वर्ष

सभी निवासी ग्राम पटौद, पुलिस थाना- कांकेर, जिला- कांकेर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना- कांकेर, जिला- कांकेर (छत्तीसगढ़)।

(अपील अंतर्गत की धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता)

उपस्थिति :

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री वी.सी. ओट्टलवार **एवं** श्री राजीव श्रीवास्तव,अधिवक्तागण।

राज्य की ओर से : श्री सुबीर बाजपेयी, उप-शासकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

(10.08.2009)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) यह अपीलें सत्र न्यायाधीश, कांकेर, उत्तर बस्तर (छत्तीसगढ़)। द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 155/2006 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 8 अगस्त, 2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके अंतर्गत अपीलार्थीगण को निम्नानुसार दोषसिद्ध करते हुए दण्डादिष्ट किया गया है, इसके अलावा सभी सजाएँ साथ-साथ चलाने का निर्देश भी दिया गया है:-

दोषसिद्धि	दण्डादेश
धारा 148 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत	2 वर्ष के लिए समक्ष कारावास।
धारा 323 सहपठित धारा 149 भारतीय संहिता के अंतर्गत	6 माह का समक्ष कारावासदंड (चार बार)।
धारा 436 सहपठित धारा 149 भारतीय	10 वर्ष का समक्ष कारावास

दंड संहिता के अंतर्गत और 1,000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम पर 3 माह का अतिरिक्त समक्ष कारावास भुगतना होगा।

धारा 302 सहपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास।

(2) संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:- शिकायतकर्ता बुधियार जैन (अभियोजन साक्षी क्रमांक-4) की ग्राम बेवरती के पुशवाड़ा चौक पर एक दुकान है। उनका निवास भी दुकान के पास ही है। अपीलार्थी बृजवती बाई और देव प्रसाद निषाद ने शिकायतकर्ता के घर के सामने स्थित शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। दिनांक02.12.2005 को राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त अतिक्रमण हटा दिया गया था। आरोप यह है कि शिकायतकर्ता के कहने पर अतिक्रमण हटा दिया गया था, इस आधार पर, दिनांक02.12.2005 को लगभग 8.30 बजे, अपीलार्थीओं ने घातक हथियारों से सज्जित होकर, एक विधिविरुद्ध जमाव गठित किया , बल्वा में भाग लिया और उसके बाद उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उन्होंने शिकायतकर्ता बुधियार जैन (अभियोजन साक्षी क्रमांक-4), रामचंद्र (अभियोजन साक्षी क्रमांक-6), राकेश नायक (अभियोजन साक्षी क्रमांक-7) और गीता बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक-8) पर हमला किया और फिर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उन्होंने शिकायतकर्ता की दुकान में आग लगा दी और उन्होंने महावीर पिता सगनू राम नामक व्यक्ति को उक्त दुकान में आग लगाकर उसकी मृत्यु भी कारित कर दी। यह भी आरोप लगाया गया है कि उसी समय, अपीलार्थीओं ने पास की दो अन्य दुकानों को आग लगा दी, जिनमें से एक प्रकाश सेन की थी और दूसरी अलखनिरंजन की थी, जो दो अलग-अलग सत्र प्रकरण, सत्र प्रकरण क्रमांक 42/2006 और सत्र प्रकरण क्रमांक 43/2006, के विषय-वस्तु हैं।

शिकायतकर्ता बुधियार (अभियोजन साक्षी क्रमांक4) के कहने पर, इस आशय की एक देहाती नालिशि, प्रदर्श-पी/36, दर्ज की गई और अन्वेषण प्रारंभ किया गया। विवेचना अधिकारी ने पंचों को नोटिस (प्रदर्श-पी/38) दिया और मृतक के शरीर का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श-पी/39) तैयार किया। मृतक के शव को प्रदर्श-पी/32 के अंतर्गत शासकीय के.डी. अस्पताल, कांकेर में शवपरीक्षण के लिए भेजा गया, जहाँ डॉ. मोहम्मद अब्दुल नसीम (अभियोजन साक्षी क्रमांक-2) ने शवपरीक्षण किया, जिन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/33 तैयार किया। शव परीक्षक शल्य चिकित्सक ने राय दी कि मृत्यु का कारण मृतक के पूरे शरीर पर 100% गहरे जलने के कारण दम घुटना था और यह मानववध की प्रकृति का था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आगे की अन्वेषण में, दुकान में 60,000/- रुपये के नुकसान को दर्शाते हुए एक पंचनामा प्रदर्श-पी/42 के अंतर्गत तैयार किया गया।

घटनास्थल से प्रदर्श-पी/44 के अंतर्गत 2 साइकिल, 3 सी.डी. और कई अन्य वस्तुएं (जली हुई अवस्था में) जब्त की गईं। अभियुक्तों/अपीलार्थीओं को अभिरक्षा में लेने के बाद, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उनके मेमोरेडंम कथन (प्रदर्श-पी/1, पी/3, पी/5, पी/7, पी/9, पी/11, पी/13, पी/15, पी/17 और पी/19) दर्ज किए गए और अपीलार्थीओं की निशानदेही पर प्रदर्श-पी/2, पी/4, पी/6, पी/8, पी/10, पी/12, पी/14, पी/16, पी/18 और पी/20 के अंतर्गत छड़, चाकू, टंगिया, डंडा, तलवार और सब्बल आदि वस्तुएं जब्त की गईं। घायल गवाहों बुधियार जैन (अभियोजन साक्षी क्रमांक4), रामचंद्र (अभियोजन साक्षी क्रमांक6) और गीता बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक8) को प्रदर्श-पी/45, प्रदर्श-पी/46 और प्रदर्श-पी/47 के अंतर्गत चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया और उनके चोट प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/53, प्रदर्श-पी/54 और प्रदर्श-पी/55 क्रमशः एकत्र की गईं। उनके चोट प्रतिवेदन के अनुसार, उन्हें सामान्य चोटें आई थीं, जो कठोर और भोथरे वस्तु से कारित की गयी थी। प्रदर्श-पी/48 के अंतर्गत देहाती-मर्ग सूचना दर्ज की गई, प्रदर्श-पी/49 के अंतर्गत नियमित मर्ग सूचना दर्ज की गई और प्रदर्श-पी/37 के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस मामले में तथा अन्य मामलों की तरह सामान्य अन्वेषण पूरी होने के बाद, कुल मिलाकर 3 अभियोग-पत्र मुख्य न्यायिक

दण्डाधिकारी, कांकेर की न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने मामलों को सत्र न्यायाधीश, कांकेर की न्यायालय को उपार्पण कर दिया। जहाँ 3 पृथक-पृथक विचारण किए गए वर्तमान मामले में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों/अपीलार्थीओं को दोषसिद्ध करते हुए उन्हें उपर्युक्त अनुसार दण्डित किया। अन्य दो मामलों, अर्थात् सत्र प्रकरण क्रमांक 42/2006 और सत्र प्रकरण क्रमांक 43/2006 में भी अपीलार्थीओं को दोषी ठहराया गया और तदनुसार उन्हें दण्डित किया गया, जो अन्य दाण्डिक अपीलों का विषय-वस्तु हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) वर्तमान मामले में, अपीलार्थीओं की दोष सिद्ध 4 चश्मदीद गवाहों बुधियार जैन (अभियोजन साक्षी क्रमांक4), रामचंद्र (अभियोजन साक्षी क्रमांक6), राकेश नायक (अभियोजन साक्षी क्रमांक7) और गीता बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक8) की गवाही पर आधारित है।

(4) अपीलार्थीओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी.सी. ओत्तलवार और श्री राजीव श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि विधिविरुद्ध जमाव का गठन और अपीलार्थीओं का उस विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना सिद्ध नहीं हुआ। यह भी सिद्ध नहीं हुआ कि विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य क्या था। उन्होंने तर्क दिया कि यदि विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य दुकान में आग लगाना, मृतक महावीर की हत्या करना या घायल व्यक्तियों पर हमला करना नहीं था, और कोई व्यक्ति स्वयं उपरोक्त कृत्य करता है, तो वह उस

व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य माना जाएगा और धारा 149 भारतीय दण्ड सहिंता के अंतर्गत किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि दुकान में आग किसने लगाई और मृतक की हत्या किसने की। इसलिए विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीओं को भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत दोषी ठहराकर विधिक भूल की है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ऊपर उल्लिखित सभी चश्मदीद गवाह पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं और इन गवाहों की अभिकथन के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता। वास्तव में, कई लोगों की जमाव में से किसी ने दुकान में आग लगा दी, बिना यह देखे कि मृतक दुकान के अंदर था, जिसका शव घटना के बाद बरामद किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का समर्थन किया।

(6) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

(7) सर्वप्रथम, हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या कोई विधिविरुद्ध जमाव थी और अपीलार्थी उक्त जमाव के सदस्य थे? यदि हाँ, तो उस जमाव का सामान्य उद्देश्य क्या था?

(8) भारतीय दंड संहिता की धारा 141 विधिविरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है। यह प्रावधान करती है कि पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमाव "विधिविरुद्ध जमाव" कहलाता है, यदि उस जमाव में शामिल व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य धारा 141 में उल्लिखित पाँच उद्देश्यों में से एक या अधिक हो। यह एक स्पष्टीकरण द्वारा आगे यह भी प्रावधान करता है कि कोई जमाव, जो जमाव के समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद में विधिविरुद्ध जमाव बन सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कम से कम पाँच व्यक्तियों का कोई जमाव, जिसका विधिविरुद्ध सामान्य उद्देश्य धारा 141 में निर्दिष्ट पाँच उद्देश्यों में से किसी एक की प्रकृति का हो, प्राथमिक रूप से विधिविरुद्ध जमाव ही होगा और कोई जमाव, जो जमाव के समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद में भी भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के प्रयोजनार्थ विधिविरुद्ध जमाव बन सकता है, जिसमें प्रावधान है कि विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 और 141 में प्रयुक्त शब्द "सामान्य उद्देश्य" का बहुत महत्व है। इसे सामान्य आशय के विपरीत समझा जाना चाहिए। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के निहितार्थों पर विचार करने के लिए, किसी व्यक्ति की विधिविरुद्ध जमाव में मात्र उपस्थिति से कुछ नहीं होगा, जब तक कि कोई सामान्य उद्देश्य न हो, वह उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित न हो और वह उद्देश्य धारा 141 में उल्लिखित उद्देश्यों में से एक या एक से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिक न हो। इसलिए, जब तक किसी विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य सिद्ध न हो जाए, तब तक किसी व्यक्ति को धारा 149 के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता और किसी विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य एक से अधिक हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी व्यक्ति ने विधिविरुद्ध जमाव के कथित सामान्य उद्देश्य को साझा किया है, यह निर्धारित करना होगा कि वह अच्छी तरह से जानता था कि वह जमाव, जिसका वह एक सदस्य था, धारा 141 में दिए गए कार्य या कार्यों को करने वाला था या करने की संभावना थी। सामान्य उद्देश्य किसी भी स्तर पर बनाया जा सकता है। किसी विशेष स्तर पर बनाए गए सामान्य उद्देश्य को छोड़ा जा सकता है और बाद में एक अलग उद्देश्य बनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि 'ए' को मारने के लिए एक विधिविरुद्ध जमाव बनाया गया था, जिसे उसने किया या नहीं किया, उसके बाद उस जमाव ने 'बी' को मारने के एक अन्य सामान्य उद्देश्य को तुरंत गठित कर अपराध जारी रखा और इस आशय का साक्ष्य था, तो यह स्वीकार नहीं किया जाएगा कि विधिविरुद्ध जमाव का प्रारंभिक उद्देश्य 'बी' को मारना नहीं था, और धारा 149 भारतीय दण्ड सहिंता के सभी प्रयोजनों के लिए जमाव में 'बी' को मारने का सामान्य उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। प्रत्येक मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में यह सब निर्धारित करना होगा और फिर, धारा 149 के प्रावधानों को विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य को दोषी ठहराने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के लिए लागू किया जाना चाहिए, यही विधायिका का आशय था कि धारा 149 भारतीय दण्ड सहिंता में "सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में" जैसे शब्दों को शामिल किया जाए। समान रूप से, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जहां कृत्यों का क्रम था, किसी को साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित करना होगा कि क्या विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य केवल पहले कार्य के होने तक ही मौजूद था और उसके बाद क्या जमाव बिखर गया था विचलित थी या विधिविरुद्ध जमाव या बिखर गया जमाव के किसी सदस्य ने बाद में कार्य किया और यदि ऐसा है तो क्या यह उसका अपना कार्य होगा या इसे उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया कार्य माना जाएगा जो किसी विशेष समय पर विधिविरुद्ध थी। यदि साक्ष्य के आधार पर यह पाया जाता है कि किसी विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य केवल एक विशिष्ट कार्य करना था, जो प्रथमतः किया गया था और उसके बाद प्रारंभिक विधिविरुद्ध जमाव का कोई सदस्य कोई ऐसा कार्य करता है, जो सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाला नहीं था, तो यह निश्चित रूप से एक व्यक्तिगत कार्य होगा, न कि जमाव का और ऐसे मामले में धारा 149 की सहायता से कोई दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) साक्ष्य की विवेचन करने से पहले, हम देहाती नालिशी (प्रदर्श-पी/36) को उद्धृत करना चाहेंगे, जिसे शिकायतकर्ता बुधियार जैन (अभियोजन साक्षी

क्रमांक4) द्वारा दर्ज किया गया था और जो उनके द्वारा पुलिस को दी गई पहली सूचना थी।

"देहाती प्रथम सूचनापत्र

थाना कांकेर : अप०क० 0105 धारा 147/148/149/436/342/323/307/302 भा०द०वि०

नाम प्रार्थीः बुधियार पिता शिवचरण जैन जाति कलार उम्र 45 साल सा० पुसवाड़ा चौक बेबरती थाना कांकेर ।

दि० समय घटना	:	02/12/05 के 8/15 बजे रात्रि
घटना स्थल	:	पुसवाड़ा चौक बेबरती प्रार्थी की दुकान
दूरी एवं दिशा	:	9 कि०मी० पूर्व
दिनांक समम सूचना	:	02/12/05 के 21/30 बजे
स्थान जहां सूचना दी गई	:	ग्राम बेबरती
नाम अपराधी	:	(1) देव प्रसाद निषाद, (2) ब्रजलाल निषाद, (3) सूरजलाल, (4) देवचंद, (5) शंकर, (6) मनोज निषाद, (7) ब्रजवती बाई निषाद, (8) बबलू निषाद, (9) गजेन्द्र निषाद (10) देवलाल व अन्य निवासी पटोद ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवरण

मैं पुसवाड़ा चौक बेबरती मे रहता हूँ। मेरी चाय नाश्ता व सी०डी० कैसेट की दुकान व पान ठेला है, मेरे घर के प्लाट के सामने शासकीय भूमि पर देवप्रसाद निषाद व ब्रजवती बाई निषाद अतिक्रमण कर दुकान बनाये थे जिसे आज दि० 2/12/05 को राजस्व विभाग द्वारा तोड़फोड़ कर अतिक्रमण हटाया गया। जो उसी रंजिश व बदले की भावना को लेकर आज दिनांक 2/12/05 को रात्रि 8/15 बजे एक राय होकर देवप्रसाद निषाद, देवचन्द निषाद, ब्रजलाल निषाद, सूरजलाल निषाद, देवलाल निषाद, देवचन्द, शंकर निषाद, मनोज, गजेन्द्र निषाद, बबलू निषाद, बृजवती निषाद व अन्य लोग लाठी, डन्डा, सब्बल राड, कुल्हाड़ी लेकर आये और मेरी दुकान मे तोड़ फोड़ कर मारपीट करने लगे, उस समय दुकान मे मेरे अलावा, पत्नी गीता बाई, रामचन्द्र व लड़का राकेश थे महावीर गोण्ड, ईश्वर गोण्ड भी थे। मुझे लाठी से मारपीट किये जिससे पीठ मे बायें तरफ, दाहिने पैर मे, घुटने मे व बायें हाथ की भुजा मे चोंटे आई है। रामचन्द को भी चोंटे आई है। मारपीट तोड़ फोड़ के बाद मेरी कैसेट सी.डी. दुकान में आग लगा दिये, मै जान बचाकर दुकान के भीतर भागा जो बाहर से शटर बंद जान से मारने की नियत से कर दिये थे। मेरी पत्नी गीता एवं लड़का भागकर अपनी जान बचाये। इस तोड़ फोड़ व आगजनी मारपीट की घटना पड़ोस में रहने वाले, भावसिंह गोण्ड, कन्हैया नायक, लखन लाल साहू देखे सुने है। बाद में फायर ब्रिगेड व पुलिस पहुंचने पर आग बुझाने पर पता चला एक अज्ञात आदमी जलकर दुकान अन्दर खतम हो गया है। उस आगजनी घटना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मे मेरा करीब 50-60 हजार रूपये का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट पढ़ाकर सुना कहे मुताबिक लिखा गया है।

रिपोर्ट देहाती प्रथम सूचना पत्र लेख मौके पर किया जाकर प्रकण पंजबद्ध कर विवे० मे लिया गया ।

सही /- अस्पष्ट

02/12/05"

हस्ता० सूचनाकर्ता

(10) बुधियार जैन (अभियोजन साक्षी क्रमांक4) शिकायतकर्ता है जिसकी सी.डी. की दुकान में आग लगा दी गई थी। उन्होंने बयान दिया कि दिनांक "02 दिसंबर, 2005 को राजस्व अधिकारियों ने अपीलार्थीओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा दिया था। शाम को, लाठी, रॉड और पत्थरों से सुसज्जित होकर अपीलार्थी उनकी दुकान पर आए। उन्होंने उन पर हमला कर दिया। रामचन्द्र (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 6), उनकी पत्नी गीता बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 8), रमेश (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 5), राकेश, ईश्वर, सुरेन्द्र और महावीर भी वहां थे। अपीलार्थीओं ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उनके बाएं कंधे और दाहिने पैर में चोट आई। रामचंद्र के सिर पर चोट आई, गीता बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 8) पर देवलाल, देवप्रसाद, बृजवती (यहां अपीलार्थी) और बृजवती की बेटी ने हमला किया। जब उन्होंने यह देखा, तो उन्होंने रामचंद को घर/दुकान के अंदर भेजा। उस समय तक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गीता बाई घटनास्थल से भाग गई थी। इसके बाद, वह अपने घर/दुकान के अंदर गए और घर के शटर बंद कर दिए"। उन्होंने आगे कहा कि "अपीलार्थीओं ने उनकी सी.डी. की दुकान में आग लगा दी। महावीर को जलने की चोटें आईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।" प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने कण्डिका-5 के अनुसार स्वीकार किया कि यह कहना सही है कि 'मारपीट' के बाद वे अपने ससुर रामचंद को घर के अंदर ले गए और घर के दरवाजे बंद कर दिए, जो पुलिस के घटनास्थल पर पहुँचने के बाद ही खोले गए। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि जब आग लगने की घटना हुई उस समय वह भी अपने घर के अंदर थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह यह नहीं देख सके कि दुकान में आग किसने लगाई। उनसे हमले के समय अपीलार्थीओं द्वारा किए गए कृत्यों के बिंदु पर उनके पुलिस केस डायरी बयान (प्रदर्श-डी/1) से सम्मुखन कराया गया, लेकिन तथ्य यह है कि हमलावरों द्वारा किए गए हमले के बाद, रामचंद (अभियोजन साक्षी क्रमांक-5) और बुधियार जैन (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 4) दोनों अपने घर के अंदर चले गए, जो उनकी दुकान से अलग है और उन्होंने घर के शटर बंद कर दिए और वह यह देखने में असमर्थ रहे कि उनकी दुकान में आग किसने लगाई और यह देखने में भी असमर्थ रहे कि पूरी घटना घटित होने के बाद जब पुलिस दल वहां पहुंची, तो शटर खोला गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) रमेश चंद (अ.सा. 5) पक्षद्रोही हो गया है। उसने बुधियार जैन (अ.सा. 4) के बयान का समर्थन नहीं किया है, जिसने अभिसाक्ष्य दिया था कि रमेश भी वहाँ मौजूद था और उसने घटना देखी थी।

(12) रामचंद्र (अभियोजन साक्षी क्रमांक6), बुधियार जैन (अभियोजन साक्षी क्रमांक4) के ससुर हैं। उन्होंने बयान दिया कि दिनांक2 दिसंबर, 2005 को रात लगभग 8 बजे, वह अपनी बेटी गीता बाई की दुकान में मौजूद थे। राकेश, बुधियार और गांव के 2-3 व्यक्ति भी वहां मौजूद थे। अपीलार्थीओं ने उन पर हमला किया। उनके हाथों में चाकू, कटारी, मिट्टी के तेल और पेट्रोल के कंटेनर थे। उन पर हमला करने के बाद, अपीलार्थीओं ने शिकायतकर्ता की सी.डी. की दुकान में आग लगा दी। कण्डिका-2 में उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया था कि वह मृतक महावीर को जानते थे। उन्हें जलती हुई आग में जिंदा फेंक दिया गया था। उन्होंने विशिष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया था कि जब महावीर भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें देव प्रसाद ने पकड़ लिया और उसके बाद सभी अपीलार्थीओं ने उन्हें जलती हुई आग में फेंक दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। प्रतिपरीक्षण में के कण्डिका-7 में, उसे पुलिस केस डायरी के बयानों (प्रदर्श-डी/3) से सम्मुखन कराया गया। उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने पुलिस को बताया था कि अपीलार्थी अपने साथ पेट्रोल और मिट्टी का तेल ले जा रहे थे। अगर केस डायरी के बयानों में इसका ज़िक्र नहीं है, तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। उसने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने पुलिस को बताया था कि जब महावीर दुकान से बाहर आया, तो अपीलार्थीओं ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसे जलती हुई आग में फेंक दिया। अगर केस डायरी के बयानों में इसका ज़िक्र नहीं है, तो वह इसका कारण भी नहीं बता सकता। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पुलिस को बताया था कि गीता बाई को अपीलार्थीओं ने घसीटा था और अगर ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है, तो वे इसका कारण नहीं बता सकते। प्रतिपरीक्षण के कण्डिका-8 में उन्होंने विशिष्ट रूप से स्वीकार किया कि जब आग लगने की घटना हुई, उस समय उनके दामाद बुधियार जैन उन्हें घर के अंदर ले गए थे और पुलिस दल के वहाँ पहुँचने पर वे बाहर आ गए, इसलिए यह कहना सही है कि आग लगने की घटना के समय वे दुकान (घर या अन्य दुकान) के अंदर थे। हम पाते हैं कि इस साक्षी के डायरी कथनों में मृतक को सी.डी. की दुकान में जलती हुई आग में फेंकने से संबंधित तथ्य गायब थे और उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मारपीट की घटना के बाद, उसे एक अलग दुकान/मकान में ले जाया गया और दुकान का शटर बंद कर दिया गया और जब पुलिस दल वहाँ पहुँचा तो वह दुकान से बाहर आया। इससे पता चलता है कि उसने यह नहीं देखा था कि दुकान में आग किसने लगाई और मृतक की मृत्यु कैसे हुई और वह अपीलार्थीओं पर दुकान में आग लगाने और मृतक को जलती हुई आग में जीवित फेंकने के झूठे आरोप लगा रहा है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि अभियोजन पक्ष का यह मामला बिल्कुल नहीं था कि अपीलार्थीओं ने सी.डी. की दुकान में आग लगाने के बाद महावीर को दुकान के अंदर जलती हुई आग में ज़िंदा फेंक दिया। इसके विपरीत, यह सामने आया कि जब घटना के बाद पुलिस दल गाँव पहुँचा और घटनास्थल का निरीक्षण करने लगा, तो सी.डी. की दुकान के अंदर एक शव देखा गया, जिसकी बाद में महावीर के शव के रूप में पहचान हुई। यदि महावीर को दुकान की जलती हुई आग में ज़िंदा फेंकने के सिद्धांत को, जो कि अभियोजन साक्षी क्रमांक6 राम चंद्र जैन के साक्ष्य में अभिवृद्धि थी, विचार से बाहर रखा जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि किसी ने भी यह नहीं देखा है कि मृतक को आग कैसे लगी और वह दुकान के अंदर कैसे रहा, जबकि अपीलार्थीओं द्वारा किए गए हमले के बाद सभी लोग बाहर चले गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) राकेश नायक (अभियोजन साक्षी क्रमांक 7) भी एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। वह गीता बाई के पहले पति का पुत्र है। उसने बयान दिया कि "रात लगभग 8 बजे, उसकी माँ, पिता (बुधियार जैन) और नाना (रामचंद्र) उसकी सी.डी. की दुकान में मौजूद थे। अपीलार्थी वहाँ आए और उसके नाना, माँ और पिता पर हमला किया। उन्होंने उसके साथ भी मारपीट की। महावीर को अपीलार्थीओं ने पकड़ लिया। अपीलार्थी चाकू, तलवार आदि से सुसज्जित थे और वे उन पर हमला करने आए थे। अपीलार्थी बृजवती और उसकी पुत्री ने उसकी माँ को पकड़ लिया था और उन्होंने यहाँ हमला किया था। उसने

मुख्य परीक्षा में ही बयान दिया कि उसने यह नहीं देखा कि सी.डी. की दुकान में आग किसने लगाई। उक्त तिथि को, दो अन्य दुकानों, एक श्री सेन की और दूसरी श्री निरंजन टेलर की, को भी आग लगा दी गई। अगले दिन, उसे पता चला कि महावीर की जलने से मृत्यु हो गई है।" प्रतिपरीक्षण में, उसने स्वीकार किया कि आग लगने की घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह नहीं देख सका कि दुकान में आग किसने लगाई, लेकिन उसने दृढ़ता से यह अभिसाक्ष्य दिया था कि अपीलार्थी बृजलाल ने उसके बाएँ हाथ पर डंडे से हमला किया था।

(14) दूसरी चश्मदीद गवाह गीता बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 8) है, जो बुधियार की पत्नी है। उसने बयान दिया कि "वह घटना के समय मौजूद थी, उस पर अपीलार्थीओं ने हमला किया था। बबलू एक कटारी लेकर चल रहा था। देवचंद उसके पास आया और कहा कि वह उसे मार डालेगा, क्योंकि उसने उसकी बहन की दुकान तुड़वा दी है। देवचंद ने उसके सिर पर हथौड़े से हमला किया। बबलू ने भी उस पर कटारी से हमला किया। शंकर ने भी उस पर हथौड़े से हमला किया। हमले के बाद, वह घटनास्थल से भाग गई। कुछ दूरी से उसने देखा कि अपीलार्थी देवचंद, जगे और बबलू, मास्टर के घर गए और उसे बाहर भेजने के लिए चिल्लाने लगे। इसके बाद, अपीलार्थी भाव सिंह के घर गए। वहां भी उन्होंने उसकी तलाशी ली। इसके बाद बृजवती, उसकी बेटी गुड़िया चिल्लाने लगीं। बृजवती एक डिब्बे में मिट्टी का तेल या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पेट्रोल लेकर आई थी। उन्होंने होटल के पास से कचरा उठाया और दुकान में डाल दिया। तब तक अपीलार्थी देवप्रसाद ने एक आदिवासी लड़के को पकड़ लिया था। बृजवती दुकान में आग लगाने के लिए चिल्लाई और बृजवती ने ही माचिस से दुकान में आग लगा दी। इसके बाद देव प्रसाद ने उस लड़के को जलती आग में फेंक दिया। उसने आगे कहा कि वे देवचंद, देवप्रसाद और बबलू थे जिन्होंने लड़के को आग में फेंका था। उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि उसके पति और पिता घर के अंदर थे, इसलिए वह सतलोर गांव गई, जहां से उसने पुलिस से संपर्क किया और कहा कि उन्हें पीटा जा रहा है, आग लगा दी गई है, कृपया जल्दी आएं। उसे पुलिस केस डायरी के बयान (प्रदर्श-डी/4) से सम्मुखन कराया गया जिनमें कई महत्वपूर्ण विलोपन हैं, जैसे कि इसमें यह नहीं लिखा है कि बृजवती और उसकी बेटी पेट्रोल/मिट्टी तेल लेकर घटनास्थल पर आई थीं; दुकान के अंदर अपशिष्ट पदार्थ फेंका गया और उसके बाद बृजवती ने दुकान में आग लगा दी; महावीर को देवप्रसाद, देवचंद और बबलू ने पकड़ लिया और उसे इन अपीलार्थीओं ने जलती हुई आग में जिंदा फेंक दिया, बबलू के हाथ में कटारी थी और बबलू ने कटारी से उस पर हमला किया, देवचंद ने उस पर हथौड़े से हमला किया, और शंकर ने भी उसकी पीठ, कमर और पेट पर हथौड़े से हमला किया। उपरोक्त विलोपन को देखते हुए, हम इस गवाह के साक्ष्य के उस भाग पर भरोसा नहीं करते जो दुकान में आग लगने के बाद हुई घटना से संबंधित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है। उसने कण्डिका-7 के माध्यम से स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अपीलार्थीओं और उनके परिवार के बीच संबंधित अनु-विभागीय दण्डाधिकारी की न्यायालय में एक मुकदमा भी लंबित था। वास्तव में, यह एक ज़मीनी विवाद था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि दुकान में आग लगाने के समय उसके पिता और पति घर के अंदर थे। इसलिए, हम अपीलार्थीओं द्वारा दुकान में आग लगाने और मृतक महावीर को जलती हुई आग में फेंकने की कथित घटना के संबंध में इस गवाह के बयान को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) उपरोक्त चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य के आधार पर, हम पाते हैं कि बुधियार जैन (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 4) की दुकान में घातक हथियारों के साथ अपीलार्थीओं के आने की कहानी स्थापित हुई। यह भी स्थापित हुआ था कि अपीलार्थीओं या उनमें से कुछ ने शिकायतकर्ता पक्ष, विशेष रूप से बुधियार जैन (अभियोजन साक्षी क्रमांक-4), राम चंद्र (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 6), राकेश नायक (अभियोजन साक्षी क्रमांक-7) और गीता बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 8) पर हमला किया था, लेकिन यह बिल्कुल भी स्थापित नहीं हुआ कि दुकान में आग किसने लगाई। इसके अलावा यह भी स्थापित नहीं हुआ कि वास्तव में मृतक महावीर को अपीलार्थीओं या उनमें से किसी ने या तो दुकान की जलती हुई आग में फेंककर आग लगाई थी, जैसा कि विचारण

में अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों ने कहा था या अपीलार्थीओं ने आग से या किसी अन्य तरीके से उसकी मृत्यु कारित किया।

(16) अतः, उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर, अभियोजन पक्ष द्वारा एक विधिविरुद्ध जमाव के गठन और अपीलार्थीओं के विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य होने की बात पूरी तरह से स्थापित हो गई। विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के बारे में, हम अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उक्त जमाव का सामान्य उद्देश्य घायल व्यक्तियों पर हमला करना था। इसी सामान्य उद्देश्य से, उक्त विधिविरुद्ध जमाव लगभग रात 8 बजे शिकायतकर्ता की दुकान पर गई, जहाँ सभी घायल व्यक्ति मौजूद थे। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य लाठी, रॉड और तलवार आदि जैसे हथियारों के साथ एकत्रित हुए थे, क्योंकि प्रकटीकरण के बाद ये हथियार उनके पास से बरामद किए गए हैं। यदि जमाव का उद्देश्य दुकान में आग लगाना था, तो पेट्रोल या मिट्टी का तेल ले जाने का साक्ष्य भी मौजूद होता। पेट्रोल या मिट्टी का तेल ले जाने का सिद्धांत गवाहों के न्यायालयीन साक्ष्य में आता है, जो उनके 161 के बयानों में विलोपन है और हम उन गवाहों के बयानों के उस भाग पर विश्वास नहीं करते। इसलिए, जमाव का उद्देश्य दुकान में आग लगाना नहीं था और न ही मृतक को आग में फेंककर या उसे जलाकर उसकी हत्या करना था। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हम अभियोजन पक्ष के इस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मामले को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अपीलार्थी धारा 149 भारतीय दण्ड सहिंता की सहायता से धारा 436 और 302 के अंतर्गत सजा के लिए उत्तरदायी थे। यदि हम यह भी जांच करें कि दुकान में आग लगाने और मृतक को मारने के लिए एक सामान्य उद्देश्य बाद में विकसित हुआ था, तो ऐसा मानने के लिए शायद ही कोई सामग्री है। हम यह अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण सामग्री के आधार पर कह रहे हैं, जिस पर यह कभी स्थापित नहीं हुआ कि शिकायतकर्ता की दुकान पर हमले के बाद या बाद में ऐसा कोई सामान्य उद्देश्य गठित हुआ था। हमने प्रत्येक अपीलार्थी के व्यक्तिगत कृत्य के साक्ष्य का पता लगाने के लिए परीक्षण किया है जो यह स्थापित कर सके कि या तो उसने दुकान में आग लगाने में भाग लिया था या उसने मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए के लिए ऐसा कोई कार्य किया था। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि दुकान में आग किसने लगाई और मृतक की मृत्यु किसने कारित किया। बुधियार (अभियोजन साक्षी क्रमांक 4) और रामचंद्र (अभियोजन साक्षी क्रमांक 6) के साक्ष्य से पता चलता है कि वे अपनी दुकान/घर के अंदर थे और उन्होंने शटर बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि आग किसने लगाई और मृतक की मृत्यु कैसे हुई। गीता बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक 8) का साक्ष्य भी इन बिंदुओं पर अविश्वसनीय है, क्योंकि उसके साक्ष्य में कई महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, जिनसे यह पता चलता है कि उसने दुकान में आग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लगाने और मृतक की मृत्यु कारित करने का एक विशेष कारण बनाने का प्रयास किया है। दूसरे प्रत्यक्षदर्शी राकेश नायक (अभियोजन साक्षी क्रमांक 7) ने अभिसाक्ष्य दिया था कि आग लगने की घटना के तुरंत बाद, वह घटनास्थल से चला गया था और उसने यह नहीं बताया कि दुकान में आग किसने लगाई। मृतक की मृत्यु के संबंध में, उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि अगले दिन उसे पता चला कि दुकान से जली हुई अवस्था में एक शव बरामद हुआ है और वह मृतक महावीर का शव था।

(17) मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित नहीं किया गया था कि अपीलार्थीओं ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में शिकायतकर्ता की दुकान में आग लगा दी या उन्होंने मृतक को आग लगाकर उसकी मृत्यु कर दी। अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त अपराध के लिए अपीलार्थीओं के व्यक्तिगत कृत्यों को भी स्थापित नहीं किया है। हालांकि, यह स्थापित किया गया था कि अपीलार्थीओं ने बलवा में भाग लिया था और वे घातक हथियारों से सुसज्जित थे। उन्होंने उपरोक्त व्यक्तियों पर हमला करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया और विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रेषित करने के लिए, उन्होंने बुधियार जैन (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 4), राम चंद्र (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 6), राकेश नायक (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 7)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और गीता बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 8) पर हमला किया, जिन्हें मामूली चोटें आईं।

(18) सर्वोच्च न्यायालय ने, ***मुथु नायकर एवं अन्य इत्यादि बनाम तमिलनाडु राज्य, ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1647*** में विधिविरुद्ध जमाव से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां हाथापाई हो और बड़ी संख्या में हमलावर और गवाह अलग-अलग जगहों से और घटना के अलग-अलग चरणों में घटना के गवाह होने का दावा करते हैं और जहां साक्ष्य निस्संदेह पक्षपातपूर्ण है, वहां निर्दोष को गलत तरीके से दोषी के साथ शामिल किए जाने की स्पष्ट संभावना को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गुटबाजी से ग्रस्त समाज में जहां प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच किसी गांव में कोई घटना होती है, यह अपरिहार्य है लेकिन साक्ष्य पक्षपातपूर्ण प्रकृति का होगा। ऐसी स्थिति में पूरे साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज करना कि यह पक्षपातपूर्ण है हमारे देश में ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं से आंखें मूंद लेना है। अगर ऐसा आसान रास्ता अपनाया गया तो बड़ी संख्या में अभियुक्तों को सज़ा नहीं मिलेगी। साथ ही, यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसी स्थिति में, केवल हाथापाई में देखे गए लोगों का नाम लेकर, विरोधी गुट के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने की आसान प्रवृत्ति अक्सर दिखाई देती है और इससे बचना चाहिए, इसलिए,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्ष्यों की अत्यंत सावधानी और सतर्कता से जाँच की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***मसलती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर.1965 एस.सी. 202 के*** मामले में पूर्व में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया।

उपरोक्त निर्णयों का हवाला देते हुए, अपीलार्थीओं के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.सी. ओत्तलवार ने तर्क दिया कि परिवारों की पृष्ठभूमि को देखते हुए और यह कि गांव में दो समूह थे, शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा गलत रूप से फंसाने की संभावना थी। हम उपरोक्त चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य और देहातीनालिशि, जो कि शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को दी गई पहली रिपोर्ट थी की सामग्री के आधार पर इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं। इसमें लगभग सभी अपीलार्थीओं के नाम हैं। उपरोक्त गवाह घायल गवाह हैं और उन्होंने बताया है कि उन्हें चोटें कैसे आईं। इस सीमा तक उनके बयान को चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी समर्थन मिला। उन गवाहों के पूरे बयान को खारिज नहीं किया जा सकता। हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि वे घटना की सीमा तक विश्वसनीय थे और उनका यह बयान स्वाभाविक और विश्वसनीय प्रतीत होता है। इसलिए, हम उन्हें आंशिक रूप से विश्वसनीय मानते हुए उक्त सीमा तक उनके बयान को स्वीकार करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) अंत में, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर बाजपेयी ने ***महमूद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2008 एस.सी.सी.***

515 के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सभी अपराधों का उद्देश्य समान था और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 149 के अंतर्गत सभी अपराधों के लिए अपीलार्थीओं को दोषी ठहराना पूरी तरह से उचित था। इस मामले के प्रयोजन के लिए उक्त निर्णय पर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है। उक्त मामले में, अभियुक्तों ने मृतक पर आग्नेयास्त्रों और लाठी से हमला किया था। मृतक का पिता घटनास्थल के पास मौजूद था। उन्होंने हमले के तरीके और प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में विस्तृत विवरण दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त मामले में अभियुक्तों की विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य इस तथ्य से स्पष्ट था कि उनमें से कुछ घातक हथियारों से सुसज्जित होकर आये थे और यह एक ऐसा मामला था जिसमें गोली लगने से मौत हुई थी। उक्त मामला वर्तमान मामले से भिन्न है। वर्तमान मामले में, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलार्थी कोई आग्नेयास्त्र ले जा रहे थे और न ही यह ऐसा मामला है जिसमें गोली लगने से मृत्यु हुई हो। यदि विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के पास आग्नेयास्त्र थे और आग्नेयास्त्र से लगी चोटों के कारण मृत्यु हुई, तो सामान्य उद्देश्य बहुत स्पष्ट था, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। लेकिन वर्तमान मामले में, चूंकि आग्नेयास्त्र का निहितार्थ गायब है और मृत्यु भी बंदूक की गोली से नहीं हुई थी, इसलिए उक्त सिद्धांत लागू नहीं हो सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(20) उपर्युक्त कारणों से, अपीलार्थीओं को धारा 436 सहपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता और धारा 302 सहपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश बरकरार नहीं रखे जा सकते और इन्हें अपास्त किया जाना चाहिए।

(21) तदनुसार, सभी अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीओं को धारा 436 सहपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता और धारा 302 सहपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थीओं को उनके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। तथापि, अपीलार्थीओं को धारा 148 और 323/149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश बरकरार रखे जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(22) इसके साथ ही, हम सत्र प्रकरण क्रमांक 42/2006 से उद्भूत दाण्डिक अपील क्रमांक 855/2007; 856/2007; 857/2007; 858/2007; 859/2007; 860/2007 और 863/2007 तथा सत्र प्रकरण क्रमांक 43/2006 से उद्भूत दाण्डिक अपील क्रमांक 861/2007; 862/2007; 864/2007; 865/2007; 866/2007; 867/2007 और 868/2007 को भी निराकृत करते है और हम सत्र प्रकरण क्रमांक 42/2006 से उत्पन्न दाण्डिक अपीलों में अपराध अंतर्गत धारा 148 & 325 सहपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता में अपीलार्थीओं की दोषसिद्धि को भी कायम रखते है। इसलिए, हम

निर्देश देते हैं कि अपीलार्थीओं को इन दो अपीलों में दी गई सजाएं, जिनमें से एक सत्र प्रकरण क्रमांक 155/2006 से उद्भूत हुई है और दूसरी सत्र प्रकरण. क्रमांक 42/2006 से उद्भूत हुई है, साथ-साथ चलेंगी।

(23) यह कहा गया है कि अपीलार्थी देवचंद निषाद और जागेश्वर उर्फ जगे निषाद क्रमशः दिनांक 06.12.2005 और 23.12.2005 से जेल में हैं और अन्य अपीलार्थी देव प्रसाद निषाद, रंजीत निषाद, शंकर निषाद और बृजवती दिनांक03.12.2005 से जेल में हैं। यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। अपीलार्थी बृजलाल निषाद, मनोज कुमार, सूरजलाल और देवलाल को दिनांक 03.12.2005 को अभिरक्षा में लिया गया था, लेकिन संबंधित अपीलों में दिनांक15.04.2008 को पारित के आदेश द्वारा उनकी जेल की सजा निलंबित कर दी गई थी। उन्होंने अपनी जेल की सजा भी पूरी कर ली है। इसलिए, उनके जमानत बंध पत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/– **सही/–**

मुख्य न्यायाधीश **सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Vinay Awasthi, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur